BSNLEU

B S N L Employees Union
M.P. Circle, BHOPAL

(Regd. No. 4896)
(The Only Recognised union in BSNL)
OFFICE:1195,Lal Kothi,Near Brij Sweets,Shahi Naka Road,Gulauatal,Garha,JABALPUR,(MP)
Phone:- 0761-2425789 Website:- www.bsnleump.org Mobile:- 94251 24499

Circle Secretary	Email:srnayak68@yahoo.in	Circle President
S.R.Nayak		B.S.Raghuwanshi

क्रमांकःबीएसएनएलईयू,एमपी/ दिनांक 01-01-2012

फ्लेश न्यूज

ठेका मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन करो

बी एस एन एल कान्ट्रेक्ट वर्कर्स यूनियन, जिला इकाई जबलपुर के आहवान पर जबलपुर के ठेका मजदूर 02-01-2012 से अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का आहवान किया है। यह हडताल 02-01-2012 को सुबह 06 बजे से प्रारम्भ होगी। ठेका मजदूर यूनियन की मांग है कि उनके विषय में श्रम कानूनों का पालन किया जावे। (जैसेः इपीएफ की कटौती, ईएसआई की कटौती, सप्ताह में एक दिन का मजदूरी सहित अवकाश तथा न्यूनतम जायज मजदूरी का पेमेंट आदि)

उल्लेखनीय है कि जीएमटीडी जबलपुर के अधिकार क्षेत्र में श्रम कानूनों को पूरी तरह धता दिखाया गया है तथा प्रायः 18वीं सदी के स्तर पर वर्षों से मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए ठेका मजदूरों ने अपनी यूनियन के झंडे के नीचे न्याय प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि, इससे पूर्व दिसम्बर 2011 में ठेका मजदूरों ने प्रदर्शन किया था तथा 19-12-2011 से 72 घंटे की काम बंद हड़ताल पर चले गए थे। 24 घंटे की कामयाब हड़ताल के बाद बीएसएनएलईयू के परिमंडल सचिव एस.आर.नायक को जबलपुर के प्रबन्धन ने यह संदेश दिया था कि मजदूरों की अनेक मांगें न्यायोचित हैं तथा उनके पक्ष में न्याय किया जावेगा। 23-12-2011 को विषयांतर्गत वेन्डर्स की मीटिंग में उचित निर्णय करने का भी प्रबन्धन ने आश्वासन दिया था।

तदनुसार BSNLEU के परिमंडल सचिव एस.आर.नायक की सलाह पर ठेका मजदूर यूनियन ने 01-01-2012 तक के लिए स्थगित कर दिया था तथा नोटिस दिया था कि श्रम कानूनों का पालन न होने की स्थिति में ठेका मजदूर 02-01-2012 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जावेंगे।

प्राप्त जानकारी के अनुसार जबलपुर प्रबन्धन तथा ठेकेदारों की एक मीटिंग दिनांक 23-12-2011 को सम्पन्न हुई है। उस मीटिंग में, जैसा बताया गया है, सैद्धांतिक रूप से श्रम कानूनों को पालन करने की बात स्वीकार की गई है तथा इसके लिए एक मेकेनिज्म को विकसित करने की बात भी स्वीकार की गई है। किन्तु ठेका मजदूर यूनियन, जबलपुर को इस विषय में न तो कुछ जानकारी दी गई है और न ही उसे विश्वास में लिया गया है। इसलिए ठेका मजदूर यूनियन, जबलपुर अपने नोटिस के अनुसार दिनांक 02-01-2012 से हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं।

यह अत्यंत ही खेद एवं आश्चर्य की बात है कि, मुख्य महा प्रबन्धक के पद पर ऊपर जाने के लिए कंधे पर लेडर लेकर खड़े हुए श्री ए.सी.मिश्रा जैसे बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी, जो GMTD जबलपुर के पद पर हैं, यह पोजीशन ली है कि ठेका मजदूरों की यूनियन मान्यता प्राप्त नहीं है इसलिए उससे बात नहीं की जावेगी, भले ही वह पंजीकृत वैधानिक यूनियन है। ध्यान देने की बात है कि जीएमटीडी जबलपुर, ठेका मजदूरों के प्रमुख (Principal) नियोक्ता हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि वरिष्ठ महा प्रबन्धक श्री ए.सी.मिश्रा BSNL के कर्मचारियों की अन्य गैर मान्यता प्राप्त यूनियनों से सिर्फ बात ही नहीं करते हैं बल्कि उन्हें पालने पोसने के लिए प्रतिदिन खाद-पानी की भी व्यवस्था करते बताये जाते हैं। इस प्रकार वरिष्ठ महा प्रबन्धक श्री ए.सी.मिश्रा की नीतिगत प्रतिस्थापनाएं अन्यायपूर्ण तो हैं ही, उन्हें भ्रष्ट आचरण करने की दिशा में भी खींच रही प्रतीत होती हैं।

इसलिए BSNLEU की गोहाटी आल इन्डिया कान्फ्रेंस के निर्णय के अनुसार BSNLEU की जबलपुर जिला इकाई से निवेदन है कि वह ठेका मजदूरों के संघर्ष को पूर्ण समर्थन दे तथा जब-तक ठेका मजदूरों की हडताल चलती है, तब-तक भोजनावकाश के दौरान ठेका मजदूरों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करे। यदि आवश्यक हुआ तो परिमंडल यूनियन, मुख्य महा प्रबन्धक भोपाल के कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करने के कार्यक्रम की घोषणा करेगी।

अंत में, वरिष्ठ महा प्रबन्धक जबलपुर श्री ए.सी.मिश्रा से हम विनम्र अपील करते हैं कि ठेका मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों से तुरन्त चर्चा कर ठेका मजदूरों के प्रति न्याय प्रदान करने की दिशा में कार्यवाही करें क्योंकि आज BSNL प्रबन्धकों से ऐसा ही व्यवहार मांग रहा है।

वरिष्ठ महा प्रबन्धक जबलपुर श्री ए.सी.मिश्रा को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि, चाहे BSNL के द्वारा भर्ती किए गए नियमित मजदूर हों या ठेकेदारों के द्वारा BSNL के काम के लिए भर्ती किए गए ठेका मजदूर हों, दोनों ही प्रकार के मजदूरों की पंजीकृत वैधानिक यूनियनों से उन्हें समान व्यवहार करना होगा क्योंकि वे दोनों की प्रकार के मजदूरों के नियोक्ता की हैसियत में हैं।

This document was created using Smart PDF Creator
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFCreator.com